कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, हाजीपुर
जिला– वैशाली

02 DEC 2016

महाशय,

नगर परिषद, हाजीपुर के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 294/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकांओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समक्ष पारित कर प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही सूचना नहीं देने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14616/314 **दिनांक–** 29.11.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, वैशाली

पत्र पंजी
05 DEC 2016
संख्या 1347

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-- 294 / 16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर परिषद्, हाजीपुर
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2014–15 एवं 2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– II में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	18.04.2016 से 03.05.2016
5	**प्रशासन**	
	मुख्य पार्षद	कार्यअवधि
	1. श्रीमती रमा निषाद	01.04.14 से 19.08.2014
	2. मो0 हैदर अली	05.09.2014 से अबतक
	उप मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1. श्री विजय कुमार	01.04.14 से 19.08.2014
	2. श्री निकेत कुमार सिंन्हा	05.09.2014 से अबतक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1. श्री नीरज कुमार दास	01.04.2014 से 11.08.2015
	2. श्री जफ़र आलम	13.08.2015 से 26.08.2015
	3. श्रीमति कुमारी हिमानी	27.08.2015 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री सालकीन अहमद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक श्री राम नाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 03.05.2016

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	0
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	14083514
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	23092918

(विवरण परिशिष्ट-- VI पर)

12 बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी।.परन्तु नगर परिषद् हाजीपुर 2014–15 एवं 2015–16 का बजट संचिका एवं बजट की प्रति दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई । जिस के अभाव में यह कहना मुश्किल है कि बजट बनाया गया अथवा नहीं। कार्यालय द्वारा इस संबध में कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमानुसार बजट बनाया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये।

13. नगर परिषद्, हाजीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की आय– व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :–

कम सं0		2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	74925000.85	168542423.9
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति		
क	अनुदान	193567590	232328313
ख	ब्याज	506136	627986
ग	अन्य	75579918	38763819
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	269653644	271720118
4	कुल प्राप्ति	344578644.9	440262541.9
5.	कुल व्यय	176036221	188831677
6	अंतशेष	168542423.9	251430864.9

(विवरण परिशिष्ट– III पर)

नगर परिषद्, हाजीपुर द्वारा कोषागार रोकड़बही सहित 12 रोकड़बही का संधारण किया गया। यह रोकड़बही मद–वार न करके बैंक खाता –वार किया गया। एक ही खाते में एक से अधिक अनुदान–मद की राशि रखी गयी जबकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मद के अलग अलग रोकड़बही एवं बैंक खाते का संचालन किया जाना था। इसके कारण निधि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों के निराकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करायी जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II(क)

कंडिका संख्याः– 1 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशिः– ₹ 9.59 लाख

नगर परिषद् हाजीपुर के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखापरीक्षा के दौरान विविध रसीद एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के जॉचोपरान्त पाया गया कि विभिन्न संग्रहकर्ता द्वारा वसूली गई राशि परिषद् कोष में जमा नहीं कराई गई थी। विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं0	दिनांक	रसीद सं0	राशि (₹ में)	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	संग्रह कर्ता का नाम
1	12.05.15 से 16.04.16	5201 से 5253	244450	244450.00	श्री कविराज कुमार
2	09.04.16	6158 से 6164	13000	––	श्री अंजनी कुमार
3	15.12.15	2862 एवं 2863	400	400.00	श्री हरिश्चन्द्र चौधरी
4	21.02.15 से 01.03.15	4901 से 4915	7500	7500.00	
5	18.12.15 से 30.12.15	4872 से 4882	1300	1300.00	श्री कपिल पटेल
6	05.05.15 से 11.04.16	5126 से 5183	174345	174345	श्री मो0 रेयाज
7	04.04.15 से 21.01.16	5011 से 5100	377791	377791	
8	13.02.16 से 20.04.16	5901 से 5913	57993	57993	
9	03.04.16 से 20.04.16	6016 से 6033	95206	95206	
कुल			**971985**	**958985**	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में मनी रसीद सं0 6180, 6176, 6173 एवं 6182 द्वारा राशि 958985 अंकेक्षण के दौरान जमा की गई। श्री अंजनी कुमार द्वारा प्राप्त की गई राशि ₹ 13000 के संबंध में नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राशि जमा नहीं की गई है। अतः श्री अंजनी कुमार से रू. 13000 वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त रू. 958985 के बैंक/कोषागार में जमा करने से संबंधित साक्ष्य अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये ताकि जमा की गयी राशि की पुष्टि की जा सके।

कंडिका संख्याः– 2 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी सम्पति कर की राशि –₹ 11.65 लाख

नगर परिषद् हाजीपुर के वित्तिय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखापरीक्षा के दौरान एच रसीद एवं डी.सी.आर. (दैनिक संग्रह पंजी) के जॉच में पाया गया कि विभिन्न संग्रहकर्ता के द्वारा वसूली गयी राशि परिषद् कोष में जमा नहीं किया गया, विवरण निम्न है –

क्रम सं0	दिनांक	रसीद सं0	राशि	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	अभ्युक्ति
1	20.02.16	4666 से 4678	24037	24037	श्री मनोज कुमार रमण
2	28.02.16	4679 से 4692	17686	17686	
3	29.02.16	4693 से 4700	26020	26020	
4	01.03.16	5201 से 5213	23593	23593	
5	02.03.16	5214 से 5226	17316	17316	
6	02.03.16	5227 से 5240	26429	26429	
7	02.03.16	5241 से 5254	21552	21552	
8	02.03.16	5255 से 5267	25486	25486	
9	30.03.16	5268 से 5280	17816	17816	
10	30.03.16	5281 से 5292	4430	4430	
11	31.03.16	5293 से 5300	189381	189381	
12	20.02.16 से 02.03.16	4724 से 4800	242122	242122	श्री बच्चा चौधरी
13	02.03.16 से 31.03.16	5301 से 5336	77468	77468	
14	17.02.16 से 27.02.16	4826 से 4900	26535	26535	श्री मनोज कु0 आर्य
15	28.02.16 से 31.03.16	5101 से 5200	56219	56219	
16	18.02.16 से 23.02.16	4472 से 4500	60906	60906	श्री दिवाकर पटेल
17	24.02.16 से 31.03.16	4901 से 5000	100744	100744	
18	19.02.16 से 02.03.16	4374 से 4400	16423	16423	श्री उपेन्द्र राम
19	30.03.16 से 31.03.16	5401 से 5405	2730	2730	
20	23.06.15	2759 से 2765	4155	4155	श्री शंकर प्र0 राय
21	21.02.16 से 31.03.16	4248 से 4274	25269	25269	
22	19.02.16 से 31.03.16	4536 से 4600	156316	156316	श्री मो0 रहमत
23	03.12.15 से 22.02.16	9955 से 10000	134080	134080	श्री मो0 रेयाज अहमद
24	27.02.16 से 30.03.16	5001 से 5009	34071	34071	
कुल			**1330784**	**1330784**	

आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि विविध रसीद सं. 6129, 6169, 6172, 6131 से 6133, 6174, 6126, 6127, 6179, 6173, 6177, 6135, 5872, 5777, 6183 एवं 6182 द्वारा राशि जमा करा दी गयी है। परन्तु जॉच में पाया गया कि रसीद सं. 6173 एवं 6182 विविध मद की जमा राशि से संबंधित है एवं शेष अन्य रसीदों से मात्र 1165007 की ही जमा की पुष्टि होती है। इस प्रकार रू. 165777 (1330784 – 1165007) अभी भी जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त रू. 1165007 के नगर परिषद कोष में जमा का साक्ष्य भी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

भाग– II(ख)

कंडिका संख्याः– 3 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि रू 1000/–

नगर परिषद् हाजीपुर के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान दैनिक संग्रह पंजी एवं कैशियर रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि श्री उपेन्द्र राम के द्वारा रसीद सं0 6690 से 7211 तक दिनांक 26.03.15 से 31.03.15 तक कर की वसूली रू 25490/– की गई थी। परन्तु कैशियर रोकड बही के पृष्ठ सं0 197 दिनांक 31.03.15 को कुल रू 24490/– जमा किया गया पाया गया।

इससे स्पष्ट पता चला कि वसूली की राशि में से रू 1000/– कम जमा किया गया।

आपत्ति के आलोक रसीद सं 6181 से राशि 1000/– के द्वारा जमा कर दी गई थी। अतः रू. 1000 के बैंक/कोषागार में जमा का साक्ष्य अनुपालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

कंडिका संख्याः– 4 निर्वाचित प्रतिनिधि के यात्रा भत्ता में भुगतान (राशि– 4.30 लाख)

नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा निर्गत संकल्प सं0 3217/20.6.08 एवं 2752/14.11.13 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए कमशः प्रतिमाह 100/– रूपये एवं 200/– रूपये देने का प्रावधान है।

आगे पत्र सं0 2ब/विविध 17–20/2008/ 09 दिनांक 19.05.15 से यह स्पष्ट है कि पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 3217 एवं 2752 को विलोपित किया गया एवं सभी तरह के भत्ते को समेकित करते हुए एक नियत भत्ता निर्धारित किया गया एवं नया संकल्प सं0 2523 दिनांक 19.05.15 निर्गत किया गया।

नए संकल्प सं0 2523 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियत भत्ता के रूप में सभापति को प्रतिमाह राशि 6000/– निर्धारित की गयी है जिसमें बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता समाहित है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि 19.05.15 से पहलें पुर्व में निर्गत संकल्प सं0 3217 एवं 2752 लागू था एवं 19.05.15 के बाद नया संकल्प सं0 2523 लागू माना जायगा।

आगे नगर परिषद् हाजीपुर के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान संबधित दस्तावेजों एवं संचिकाओं के अवलोकन से पता चला कि अंकेक्षण अवधि 2014–15 एवं 2015–16 में समापति महोदय को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन का भुगतान शिवम् टुर एवं टैवलर्स को राशि ₹ 430100/– किया गया।

विवरणी इस प्रकार है–

Statement showing amount paid to Shivam tours and travels during 2014-15 to 2015-16

कम सं0	अवधि	राशि
1	09.09.14 से 31.12.14	85100.00
2	01.01.15 से 31.3.15	69000.00
3	01.04.15 से 31.5.15	46000.00
4	01.06.15 से 30.6.15	23000.00
5	01.07.15 से 30.9.15	69000.00
6	01.10.15 से 31.3.16	138000.00
कुल		**430100.00**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति किए जाने एवं यह पुछे जाने पर कि सभापति महोदय को किन प्रावधानों के तहत वाहन उपलब्ध कराया गया एवं राशि ₹ 403100/– का भुगतान किया गया, जवाब में यह बताया गया कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णयानुसार राशि का भुगतान किया गया था।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर परिषदीय बोर्ड को सरकार के प्रावधानों एवं आदेशों के विरूद्ध राशि व्यय करने का अधिकार नहीं है।

अतः अनियमित व्यय की गयी राशि ₹ 430100/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से अनुरोध हैं कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका संख्याः– 5 आयकर की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशिः– 1.78 लाख

केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जायगा।

अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत परन्तु उस व्यक्ति या संस्था ने कांट्रैक्ट के समय या भुगतान के पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर परिषद् हाजीपुर कार्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय में दो गाड़ियॉ किराये पर ली गयी थी।

1. बोलेरो
2. स्कौरपीओ

उक्त दोनो गाड़िया पर अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि 936100/– का व्यय किया गया।

1. बोलेरो–506000/–
2. स्कौरपीओ–430100/–

विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	अवधि	राशि
1	09.09.14 से 31.12.14	85100.00
2	01.01.15 से 31.3.15	69000.00
3	01.04.15 से 31.5.15	46000.00
4	01.06.15 से 30.6.15	23000.00
5	01.07.15 से 30.9.15	69000.00
6	01.10.15 से 31.3.16	138000.00
7	22.05.14 से 21.10.14	115000.00
8	22.10.14 से 21.12.14	46000.00
9	22.12.14 से 21.1.15	23000.00
10	22.1.15 से 21.3.15	46000.00
11	22.03.15 से 21.04.15	23000.00
12	22.04.15 से 21.6.15	46000.00
13	22.06.15 से 21.7.15	23000.00
14	22.07.15 से 21.10.15	69000.00
15	22.10.15 से 21.3.16	115000.00
	कुल	**936100.00**

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. प्रस्तुत की गयी संचिकाओं में किसी भी वाहन मालिक द्वारा पैन सं0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत कुल भुगतान का 20 प्रतिशत की कटौती अर्थात राशि 187220/– करके ही अंतिम भुगतान करना था, परन्तु संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि अंतिम भुगतान करते समय 1 प्रतिशत की राशि अर्थात राशि 9361/– की कटौती की गयी थी।
2. पत्र सं0 60 दिनांक 26.09.14 से यह स्पष्ट है कि नगर परिषदों के पार्षदों को प्रतिमाह 10 कि0मी0 परिभ्रमण किया जाना है जबकि कार्यालय द्वारा समर्पित लौग से यह स्पष्ट होता है कि सभापति महोदय द्वारा प्रतिदिन लगभग 24 कि0मी0 प्रतिदिन यानि 726 कि0मी0 प्रतिमाह (1/11 से 31/11) हाजीपुर क्षेत्र में परिभ्रमण किया गया। किसी दूसरे माह की स्थिती अलग हो सकती है। संकल्प में यह स्पष्ट है कि जिला/राज्य से बाहर की अधिकृत यात्राओं के लिए सरकार की पूर्वानुमति से सरकार के निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता देय होगें जबकि कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए लौगबुक के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कार्यालय कार्य के लिए पटना जाने के लिए सरकारी गाड़ी का प्रयोग सभापति महोदय द्वारा किया जाता रहा था।
3. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रयोग में लायी जा रही गाड़ी के लौगबुक के अवलोकन से यह प्रकाश में आया कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2015 को सरकारी गाड़ी का प्रयोग पटना सचिवालय में जाने के लिए किया गया, विदित है कि दिनांक 15.11.2015 रविवार है और अमुमन कार्यालय रविवार को बन्द रहता है।

   अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कार्यालय के काम से वृति सभापति महोदय द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में भ्रमण किया जता है। उक्त ऐंजेंसी का PAN NO- AYCP50S29G है। पैन संख्या की छायाप्रति भी दल को उपलब्ध करायी गयी। छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि पैन संख्या श्री ब्रजेश कुमार सिंह के नाम निर्गत है जबकि राशि का भुगतान शिवम् टुर एवं ट्रेवल्स को किया गया था। अतः आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानो के अनुसार राशि 177859/– का अधिक भुगतान किया गया, जो संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

   दिनांक 15.11.15 दिन रविवार को सरकारी गाड़ी का प्रयोग पटना सचिवालय जाने के प्रश्न पर कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

   15.11.15 दिन रविवार था और अमुमन रविवार के कार्यालय बंद रहता हैं अतः राशि 3800/– (76 @ रू. 50 प्रति लीटर) संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः– 6 कॉनहारा घाट में विधुत शवदाह गृह का जिर्णोद्धार पर निष्फल व्यय राशि 97.32 लाख एवं बकाया राशि 4.70 लाख

1. नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0 10 दिनांक 05.06.14 से हाजीपुर नगर परिषद् को कॉनहारा घाट में विधुत शवदाह गृह के जीर्णोद्धार हेतु नागरिक सुविधा मद से राशि

9732300/–प्राप्त हुई। उपर्युक्त पत्र सं0 के क्रम सं0 3 एवं 5 में निर्देश के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद को पत्र सं0 1125/ 17.07.14 द्वारा सम्पूर्ण राशि हस्तांतरित की गयी ।

2. बिहार राज्य जल परिषद् द्वारा कॉनहारा धाट विधुत शवदाह गृह का जिर्णोद्धार किया गया एवं नगर परिषद् को पत्र सं0 12/ 13.01.15 द्वारा हंस्तातरित किया गया।
3. पत्रांक सं0 141/ 29.01.15 से दैनिक सामाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 31.01.15 को आम सूचना निकाली गयी। आम-सूचना के आलोक में 09.02.2015 को 07 गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट ने अपनी सहमति व्यक्त की जिसपर सशक्त स्थायी समिति में दिनांक 10.02.15 को विचार किया गया (प्रस्ताव सं0 02) एवं गौरी महिला बाल कल्याण मंडल दुबे टोला कटारू पारू मुजफ्फरपुर का चयन किया गया एवं पत्रांक सं0 345/28.02.15 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया।
4. नगर परिषद् हाजीपुर एवं चयनित संस्था के बीच दिनांक 30.03.2015 एकरारनामा किया गया। जिसके क्रम सं0 1 में यह स्पष्ट है कि प्रतिमाह 3000/– चयनित संस्था को नगर परिषद् को देना है। साथ ही क्रम सं0 3 से यह स्पष्ट है कि चयनित संस्था को ही खपत किए गए बिजली बिल का भुगतान करना था।
5. संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि मनी रसीद सं0 5409/ 19.06.15 से राशि 6000/– माह मार्च एवं अप्रैल 2015 की जमा की गयी।
6. पत्र सं0 1840/15.10.2015 एवं 2171/26.12.15 द्वारा सचिव, गौरी महिला बाल कल्याण मंडल दुबे टोला कटारू को खपत किए गए बिजली बिल के भुगतान के लिए अनुरोध किया गया।
7. संचिका में संलग्न पत्र सं0 92/ 01.02.2016 से यह स्पष्ट है कि शवदाह गृह दिसम्बर 2015 से बन्द है एवं बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया ।
8. संचिका में संलग्न गौरी महिला बाल कल्याण मंडल दुबे टोला कटारू के पत्र दिनांक 09.01.2016 से यह स्पष्ट है कि संस्था ने मार्च 2015 से शवदाह गृह अपने हाथ में लिया।
9. संचिका में संलग्न बिजली बिल से यह स्पष्ट होता है कि राशि 445740/– बकाया था।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. एकरारनामा के क्रम सं0 1 में यह स्पष्ट लिखा है कि चयनित संस्था को प्रतिमाह 3000/– राशि नगर परिषद् जमा करना था परन्तु संचिका से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अभी तक राशि 6000/– (माह मार्च एवं अप्रैल 2015) ही जमा की गयी हैं, जबकि संस्था द्वारा शवदाह गृह अपने हाथ में मार्च 2015 से दिसम्बर 2015 तक लिया गया था। अतः संस्था के पास अभी तक 24000/-- बकाया है। एकरारनामा के क्रम सं0 3 में यह स्पष्ट है कि चयनित संस्था को खपत किए गए बिजली बिल का भुगतान करना था परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा बिजली बिल की राशि 445740/– जमा नहीं की गयी है। (31.08.15 से 30.09.15 तक का) मार्च 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में सितम्बर 2015 की अवधि को छोड़कर की अवधि का बिजली बिल के बारे में संचिका में कोई सूचना उपलब्ध नहीं पायी गयी।
2. कॉनहारा धाट में विधुत शवदाह गृह के जीर्णोद्धार हेतु नागरिक सुविधा मद से राशि खर्च की गयी परन्तु इससे नगर परिषद् को अभी तक 6000/– की राशि ही प्राप्त हो सकी।
3. संचिका में संलग्न नोट शीट के पेज सं0 12 एवं संलग्न पत्र दिनांक 09.01.2016 पृष्ट सं0 349 से यह स्पष्ट है कि बिजली के खपत के कारण उत्पन्न बिजली बिल के भुगतान करने में असमर्थ होने एवं आय से ज्यादा खर्च होने के कारण संस्था कार्य करने में असमर्थ रहा इसलिए शवदाह गृह बन्द है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि शवदाह गृह को चलाए जाने पर खपत होनेवाली बिजली के बिल का आकलन समय पर नहीं किया गया जिसके कारण जीर्णोद्धार पर राशि 9732300/– खर्च करने के बावजूद भी शवदाह गृह बन्द है।

अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि विधुत शवदाह गृह संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को दिया गया था। जो अभी संचालन छोड दिया है। पुनः संचालन कराने हेतु अग्रेतर कारवाई की जा रहीं है।

कार्यालय द्वारा दिया गया जबाब मान्य नहीं है क्योंकि की गयी कारवाई से दल को अवगत नहीं कराया गया एवं जीर्णोद्धार से पहले होने वाले बिजली की खपत एवं उसके भुगतान किए जाने वाले बिजंली बिल का आकलन किया जाता तो हाजीपुर नगर परिषद् को राशि 9732300/– की हानि से बचाया जा सकता था। अतः कोनहार धाट शवदाह गृह के जीर्णोद्धार पर राशि 9732300/– का निष्फल व्यय किया गया एवं संस्था के पास बकाया राशि 469740/– की वसूली के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्याः– 7 नगर परिषद् सामन्य बोर्ड की सहमति के बिना हाई मास्क लाइट की खरीद (राशि– 35.19 लाख)

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगर परिषद् में पांच लाख रूपये से अधिक किन्तु बारह लाख रूपये से अनधिक की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। आगे यह भी लिखा है कि बारह लाख रूपये से अधिक के व्यय की कोई भी संविदा नगर परिषद् की सामन्य बोर्ड की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकती। परन्तु इलीयास पार्क में डिजाइनर लाइट एवं हाई मास्क लाइट की खरीद से संबधित संचिका के अंकेक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि डिजाइनर लाइट एवं हाई मास्क लाइट की खरीद के लिए निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक 06.06.15 की बैठक के प्रस्ताव सं0 06 एवं 07 में लिया गया एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक 12.08.15 के प्रस्ताव सं0 02 में उक्त निविदा के तुलनात्मक विवरणी पर विचार किया गया एवं चौरसिया इलेक्ट्रीकल हाजीपुर का चयन किया गया एवं कार्यादेश निकाला गया। (पत्रांक सं0 1602/07.09.15) कार्यादेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	समानों का नाम	बिल की राशि	कटौती			अभिश्रव सं0/दिनांक
			वैट की राशि	इन्कम टैक्स	भुगतेय राशि	
1	गार्डेन लाइट	1064000.00	126556.00	18749.00	918695.00	957952/15.02.2016
2	12 मीटर हाईमास्क लाइट	625000.00	74339.00	11013.00	539648.00	
3	16 एम.एम. केबल	199500.00	9500.00	3800.00	186200.00	
4	16 मीटर हाईमास्क लाइट	1630000.00	193877.00	28722.00	1407401.00	
		3518500.00	404272.00	62284.00	3051944.00	

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के नियम के विरूद्ध 3518500/– के व्यय के संबंध मे अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर जवाब दिया गया कि नगर परिषद् बोर्ड की बैठक दिनांक 27.07.15 एवं दिनांक 06.01.16 में उक्त सामानों की क्रय करने संबधी सहमति प्राप्त कर ली गयी थी, परन्तु नगर परिषद बोर्ड के प्रस्ताव की छायाप्रति दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (O) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि आपूर्तिकर्त्ता से उपर्युक्त नियमानुसार राशि 351850/– की कटौती की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी और न ही कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से इस बिन्दू पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई। **फलस्वरूप राशि 351850/– का अधिक भुगतान हुआ** और कार्यालय द्वारा Perfomance Security के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्त्ता से नहीं करना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही एवं आपूर्तिकर्त्ता को undue favour की ओर इशारा करती है।
3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के अनुसार 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी के लिए Advertised tender enguiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि Director, Indian Trade Journal Kolkata से संपर्क नहीं साधा गया था। नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरींदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

   नगरं परिषद् बोर्ड की उक्त बैठक के प्रस्ताव की छायाप्रति के अनुपलब्धता के कारण एवं बिहार वित्त नियमावली की धारा 131– एच के अनुसार निविदा प्रकिया नहीं अपनाये जानें की स्थिति में जवाब मान्य नहीं है। अतः व्यय की गयी कुल राशि 3518500/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः– 8 सैरातों की बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं, रू 26.63 लाख

कार्यालय नगर परिषद हाजीपुर के लेखा वर्ष 2015–16 के सैरातों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की गईः–

कम सं0	सैरातों का नाम	2015-16 में बंदोबस्ती की राशि	जमा की गई राशि	जमा नहीं की गई राशि
1	गॉधी चौक टेम्पु स्टैन्ड	606650	300000	306650
2	पासवान चौक टेम्पु स्टैन्ड	2400115	2000235	399880
3	बुद्ध मूर्ति चौक टेम्पु स्टैन्ड	2528100	1264132	1263968
4	अंजानपीर टेम्पु स्टैन्ड	235140	150000	85140
5	गुदरी बाजार	1210750	606156	604594
6	अस्पताल रोंड में एन0 एम0 के निकट मोटर साईकिल स्टैन्ड	8030	5000	3030
कुल		**6988785**	**4325523**	**2663262**

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ–

1. म्यूनिसिपल एकाउंट रूल 1928 के अनुसार सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे यह पता नहीं चल सका कि हाजीपुर नगर परिषद में कुल कितने सैरात थे। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त सैरातों की पिछले वर्ष सुरक्षित राशि क्या थी ।
2. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, हाजीपुर द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित आम सूचना के बिन्दु 2 के अनुसार डाक समाप्ति के बाद डाक की कुल राशि एक मुस्त बैक ड्राफ्ट/नगद राशि 24 घंटे के अन्दर कोषापाल के यहॉ जमा करना होगा, उपर्युक्त विवरण के अनुसार 6 सैरातों का बंदोबस्ती होने के बाद बंदोबस्ती की शेष राशि ₹2663262/– अंकेक्षण अवधि तक नगर परिषद कोष में बंदोबस्तधारियों द्वारा जमा नहीं कराया गया ।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि राशि जमा की गई है। साक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

उक्त जमा से संबंधित कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल राशि 2663262/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः–9 बंदोबस्ती की न्यूनतम राशि से कम राशि पर सैरातों की बंदोबस्ती से वित्तीय हानि, रू 6.25 लाख

नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्राधिकार में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न 2 सैरातों का बंदोबस्ती नहीं होने से रू 625453/– का वित्तीय हानि हुआ । विवरणी निम्न है :–

कम संख्या	सैरात का नाम	2015–16 में बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि	संचिका के अनुसार बंदोबस्ती की राशि	हानि (₹)
1	कोनहारा घाट में लकड़ी बेचने का अनुज्ञप्ति	544500	95000	449500
2	रिक्शा अनुज्ञप्ति छोड़कर रिक्सा, ठेला, बैलगाड़ी, टायर गाड़ी इत्यादि का टिकट बिक्री	211953	36000	175953
कुल		**756453**	**131000**	**625453**

लेखापरीक्षा टिप्पणीः–

1. कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गये सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त सैरातों की बंदोबस्ती नियामानुसार नहीं की गई बल्कि बंदोबस्ती के लिए सुरक्षित राशि से कम राशि पर ही एकरारनामा कर दिया गया, जिस से रू 625453/– की हानि हुई ।

2. उक्त सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने संबंधी सूचना पत्रांक 444 दिनांक 17.03.2015 के माध्यम से नगर परिषद् के द्वारा उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को दी गई थी । साथ ही बंदोबस्ती के संबंध में सम्यक् मार्ग–दर्शन की मॉग की गई थी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कोई मार्ग–दर्शन उपलब्ध कराया गया या नहीं संचिका में स्पष्ट नहीं पाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मार्ग–दर्शन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मार्ग–दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो सुरक्षित राशि से कम राशि पर बंदोबस्ती किए जाने का आधार स्पष्ट नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णयानुसार कार्रवाई की गई है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बंदोबस्ती के पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग के मार्ग–दर्शन का प्रतीक्षा किया जाना चाहिए तथा पुनः पत्र लिखा जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि उक्त बंदोबस्ती से रू 625453 की हानि हुई। अतः हानि राशि 625453/– संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः–10 सैरातों की बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं, रू 51.35 लाख

कार्यालय नगर परिषद हाजीपुर के लेखा वर्ष 2014–15 के सैरातों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की गईः–

क्रम सं0	सैरातों का नाम	2014–15 में बंदोबस्ती की राशि (सुरक्षित जमा राशि)
1	गॉधी चौक टेम्पु स्टैन्ड	550000
2	पासवान चौक टेम्पु स्टैन्ड	1155000
3	जढुआ टेम्पु स्टेन्ड	440220
4	बुद्ध मूर्ति चौक टेम्पु स्टैन्ड	1347500
5	अंजानपीर टेम्पु स्टैन्ड	191000
6	स्टेशन सब्जी बाजार	220000
7	गुदरी बाजार	429110
8	कौनहारा घाट में लकडी बेचने का अनुज्ञप्ति	308000
9	रिक्सा (रिक्सा अनुज्ञप्ति छोड़कर) ठेला, बैलगाड़ी टायर गाड़ी इत्यादि का टिकट बिक्री	102000
10	कार्तिक पूर्णिमा मेला	16500